



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 07.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा कोतवाली कर्वी में विशेष अभियान के अन्तर्गत किराएदारों के सत्यापन हेतु पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पुलिस बल को बताया कि किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य है, इसका उद्देश्य संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच करना एवं अपराधों में उनकी संलिप्तता रोकना है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. अनिल उर्फ टिड्डा पुत्र स्व० रामप्रकाश निवासी ग्राम दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 2. मनोज पुत्र स्व० रामप्रकाश निवासी ग्राम दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 3. छोटू उर्फ पंकज पुत्र स्व० रामप्रकाश निवासी दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 4. राजेन्द्र पुत्र स्व० रामप्रकाश निवासी ग्राम दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 5. मोनू उर्फ मुकेश पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम हकीमपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 6. इन्द्रजीत निषाद पुत्र स्व० रामानखन निवासी ग्राम केंवटन का पुरवामजरा तीरधुमाई गंगू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 7. लवलेश कुमार मिश्रा उर्फ मुद्रा पुत्र स्व० भोला प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 8. अमन मिश्रा संतोष कुमार उर्फ टामी निवासी ग्राम चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 9. वेदप्रकाश मिश्रा पुत्र प्रेम सागर उर्फ गिल्ला निवासी पाम चिल्लीमल

थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 10. शिवनारायण सिंह उर्फ कल्लू पुत्र केदार सिंह निवासी ग्राम चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 11. अनिकेत उर्फ रोहित सिंह पुत्र उदयभान सिंह निवासी ग्राम चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 12. जितेन्द्र मिश्रा उर्फ लल्लू पुत्र दयानन्द मिश्रा उर्फ बउरा निवासी ग्राम चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट 13. श्रवण कुमार मिश्रा पुत्र रामनरेश मिश्रा निवासी ग्राम चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(4). कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर नव सृजित पुलिस चौकी भैसौंधा, थाना भरतकूप का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि थाना भरतकूप अंतर्गत दूरस्थ ग्राम जो अब चौकी क्षेत्र में पड़ेगे वहां पर निवास करने वाले ग्रामीण अब आसानी से अपनी शिकायत के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना दे पायेंगे साथ ही पुलिस के भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले समय में कमी आएगी। इस क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा होगा तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकी क्षेत्र के समस्त चौकीदारों को कंबल वितरित किए गए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन/कार्यालय श्री यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप पाल, ग्राम प्रधान भैसौंधा सहित गाँव के सभ्रान्त व्यक्ति एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 05 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

1. उ०नि० श्री अजहर जमाल व आरक्षी दीपेश कुमार थाना सरधुवा द्वारा मु०अ०सं० 74/24 धारा 504, 506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त रामचंद्र निषाद नि० किशोर का पुरवा मजरा सुरवल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

2.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह व आरक्षी रवि शंकर,आरक्षी अनुज यादव द्वारा वाद संख्या 2240/ 20 धारा 138 एनआई एक्ट के वारंटी अभियुक्त राजेश कुमार बउआ पुत्र बुद्ध निवासी बड़े पूरवा तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

3.उ०नि० श्री जटाशंकर शुक्लाव आरक्षी शिवम मिश्रा थाना रैपुरा द्वारा अ०सं० -82/16 , एस०टी०नं० – 30/17 धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(2)5A/3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट अनिल उर्फ झिंगा पुत्र राजा दर्जी उम्र 26 वर्ष निवासी अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

4.उ०नि० श्री मुन्नीलाल व आरक्षी शुभम त्रिपाठी, आरक्षी राकेश कुमार थाना मऊ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 182/19 धारा 302,201 भादवि० के वारंटी अभियुक्त बबलू चमार पुत्र हरिराम निवासी ग्राम छिबलाहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

5.उ०नि० श्री अंशुल कुमार व उ०नि० श्री अमरेंद्र सिंह व आरक्षी संजीव सोनी,आरक्षी राहुल पुरी कोतवाली कर्वी द्वारा अ०सं० 766/16 धारा 323,504,506 भादवि० 3(2)5 ए एससी एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त बबलू पुत्र राममिलन निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।